संख्या-19/2018/2029/52-1-2018-02(एम०एस०डी०पी०)/13

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 11 जनवरी, 2018

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण एवं बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(1)/2012-पी0पी0, दिनांक 19.11.2012 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-1018/52-1-13-02(एम०एस०डी०पी०)/13, दिनांक 06 मार्च, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(1)/2012-पी0पी0, दिनांक 22.09.2015 से उक्त योजनाओं हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 47.835 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 23,91,750/- (रू० तेईस लाख इक्यानबे हजार सात सौ पचास मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू० 07,97,250/- (रू० सात लाख सत्तानबे हजार दो सौ पचास मात्र) अर्थात् कुल रू० 31,89,000/- (रू० इकत्तीस लाख नवासी हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 3909.04 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	अवमुक्त प्रथम किश्त	अवमुक्त द्वितीय किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के0/रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लखनऊ	राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	06	5.63	25.335	8.445	16.89	12.6675	4.2225	16.89
	,,	राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	03	5.00	11.25	3.75	07.50	5.625	01.875	07.50
	,,	बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	03	5.00	11.25	3.75	07.50	5.625	01.875	07.50
		योग	12	15.63	47.835	15.945	31.89	23.9175	7.9725	31.89

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। प्रश्नगत राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण एवं बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण को 06 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नगत राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण एवं बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण निर्धारित मानकों सहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण एवं बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण एवं बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की विशिष्टियॉ,मानक, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाया आहरण एवं वितरण आधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

10- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यवाही संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय । कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

11- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण,

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा ।

12- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

14- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

15- प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

16- आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी ।

17- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

18- शासनादेश दिनांक 03 अगस्त 2017 एवं 26-8-2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

19- लेबरसेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

20- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

21- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

22- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-2029(1)/बावन-1-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण एवं बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
7- निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, राजकीय हाई स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण एवं बालिकाओं के लिए इन्सिनिरेशन के स्थान सहित राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ ।
10- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
11- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://upasanadesh.up.nic.in